सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 813 **11 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Thursday, 2nd November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

2nd November, 2017

NOTIFICATION No-32/2017 State Tax (Rate)

S.O. No-117- Dated-2nd November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. 12/2017 vide S. O No.42/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, namely:-

(i) in the Table, -

(a) in serial number 5, in column (3), for the words “governmental authority” the words “Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority” shall be substituted;

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9B	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.	Nil	Nil";

(c) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21A	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients, namely: - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any Co-operative Society established by or under any law for the time being in force; or (d) anybody corporate established, by or under any law for the time being in force; or (e) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; (f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.	Nil	Nil";

(d) after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entriesshall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23A	Heading 9954	Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity.	Nil	Nil";

(e) in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 per cent. or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.";

(ii) in paragraph 2, for clause (zf),the following shall be substituted, namely: -

"(zf) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(zfa) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,
(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: -The principal notification no. 12/2017 was published in the Jharkhand Gazette, *vide* S.O No. 42/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, and was last amended by S.O No. 94/2017-State Tax (Rate) dated the 18th October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2017

अधिसूचना सं. 32/2017- राज्य कर (दर)

एस० ओ०- 117 - दिनांक - 2 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एस० ओ० 42 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०. 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं० 5 में, कालम (3) में शब्दों " सरकारी प्राधिकारी " के स्थान पर "केंद्र सरकार,राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं० 9 क और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ख	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति,जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारीनिकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

(ग) क्रम सं० 21 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21 क	शीर्ष 9965	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति,जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति	कुछ नहीं	कुछनहीं";

	or शीर्ष 9967	भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्‌वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (a) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63)के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्‌वारा अधिशाषित कोई कारख़ाना;या (b) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट,1860(1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी; (c) किसी कानून के द्‌वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई कोआपरेटिव सोसाइटी-; या (d) किसी कानून के द्‌वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी कॉर्पोरेट-; या (e) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (f) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।		

(घ) क्रम सं० 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23 क	शीर्ष 9954	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करनेवाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

(ङ) क्रम सं० 41 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"औद्‌योगिकभू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापारकी अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्‌योगिक इकाई या (ख) औद्‌योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को,तथा राज्य सरकार औद्‌योगिक विकास निगम / प्रतिस्ठान या ऐसे किसी निकाय द्‌वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का

स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)"

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i)संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i)संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादितकरना है।"

2 .यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी । ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: - मूल अधिसूचना, झारखंड के राजपत्र, अधिसूचना एस०ओ० 42, दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 94 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के अनुसार हुआ था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 813-- 50.